

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

गुस्ताम कोर आदि बनाम अजित लाल आदि

ग संख्या २३ / २०२५ अन्तर्गत धारा २१२ RTA

नांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
------	-----------------------------------	---

18 <sup>03</sup>/<sub>२५</sub> अधिवक्तागण उपस्थित। शेष प्रतिवादी की तलवी हेतु सम्मन तलवाना पेश किया। सम्मन जारी हो। पत्रावली वाकिते तलवी व जवाब प्राथमिक पत्र दिनांक २२/०५/२५ को पेश हो।

२२ <sup>५</sup>/<sub>२५</sub> वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO सहित अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक ३६/५/२५ को पेश हो। Kanna

२६ <sup>०५</sup>/<sub>२५</sub> प्राथमिक व प्राथमिक अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राथमिक व प्राथमिक अधिवक्ता को रुक-२ कर उबार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। प्राथमिक का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA अदम पेशी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निरीति होकर नम्बर से कम होकर वापस निकलता है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

